



Neutral Citation No.- 2026:AHC:18049

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-13455 वर्ष 2025

निखिल भदौरिया आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: अंकुर मिश्रा, सुनील वशिष्ठ

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता, कामेश्वर सिंह

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची का पुनः पुकार किया गया। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा दायर जवाबी हलफनामे को अभिलेखों पर लिया जाता है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री सुनील वशिष्ठ, सूचनाकर्ता के अधिवक्ता श्री कामेश्वर सिंह, राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता श्री वीकेएस परमार को सुना और अभिलेखों पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया।
3. प्रस्तुत ज़मानत आवेदन आवेदक द्वारा 2024 के अपराध संख्या-259 में धारा 302, 201, 394, 411, 34 भ०द०वि०, थाना-हनुमंत विहार, ज़िला: कानपुर नगर के तहत दायर किया गया है, जिसमें उसे ज़मानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।
4. अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, 13.6.2024 को पनकी से एक शव बरामद किया गया था और इसकी जांच रिपोर्ट और शव परीक्षण जांच के बाद मृत व्यक्ति की तस्वीरों और कपड़ों से शव की पहचान की गई थी। प्राथमिकी में कहा गया था कि कुछ अज्ञात लोगों ने मृतक की हत्या की है।
5. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा है कि प्राथमिकी में लगभग चार दिनों की देरी हुई है और उक्त देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। आवेदक का नाम प्राथमिकी में नहीं है और उसका नाम

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



बाद में सह-आरोपी व्यक्ति सौरभ के इकबालिया बयान में सामने आया है और आवेदक के कब्जे से मृतक व्यक्ति की कार की चाबी बरामद की गई थी और उसके इशारा पर, उक्त कार भी बरामद की गई थी और उक्त कार से उक्त पेपर कटर बरामद किया गया था, जिसका उपयोग मृतक व्यक्ति के कुछ कपड़ों के साथ मृतक व्यक्ति की हत्या में किया गया था।

6. आवेदक के अधिवक्ता द्वारा आगे यह तर्क दिया जाता है कि आवेदक को प्रस्तुत मामले में झूठा फंसाया गया है। उक्त बरामदगी उस पर लगाई गई है। आवेदक को सौंपे गए एक मामले के आपराधिक इतिहास को समझाया गया है। आवेदक 18.6.2024 से जेल में है और वह मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

7. तत्सम्य विपरीत, सूचनाकर्ता और अपर शासकीय अधिवक्ता के अधिवक्ता ने इस आधार पर जमानत आवेदन का जोरदार विरोध किया है कि मृतक व्यक्ति को अंतिम कॉल रचित कुमार की थी, जिसने अपने मकान मालिक के बेटे विशाल के मोबाइल का इस्तेमाल किया था, लेकिन बाद में आवेदक और अन्य सह-आरोपी व्यक्तियों को उक्त सीडीआर का पता लगाते हुए गिरफ्तार कर लिया गया और आवेदक की ओर इशारा करते हुए उक्त लूटी गई कार की बरामदगी हुई है, इस प्रकार, वह जमानत के हकदार नहीं है।

8. पक्षों के अधिवक्ता को सुनने के बाद और अपराध की तारीख से कार की बरामदगी की निकटता और सीसीटीवी फुटेज को ध्यान में रखते हुए, जिसमें आवेदक को उक्त कार में सवार होने की पहचान की गई है, मुझे आवेदक को जमानत देने के लिए यह उपयुक्त मामला नहीं लगता।

9. जमानत आवेदन योग्यता से रहित पाया जाता है और तदनुसार, **खारिज** किया जाता है।

10. हालांकि, यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित उपरोक्त मामले को सिद्धांत के मद्देनजर जैसा कि **विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य 2015 (3) एस.सी.सी. 220 और हुसैन और अन्य बनाम भारत संघ; (2017)5 एस.सी.सी. 702** के मामलों में उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसलों में निर्धारित किया गया है; अगर कोई कानूनी बाधा नहीं है, तेजी से तय किया जाए ।



11. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां ज़मानत आवेदन के निपटान से संबंधित पक्षों द्वारा लाए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

जनवरी 27, 2026

विकास वर्मा

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

Translated Version. Not for Legal Use.